

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—379 / 2005
 संस्थित दिनांक—12.09.2005
 फाईलिंग क.234503000242003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,
 खापा बफर जोन, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**
 // **विरुद्ध** //

1—समारू वल्द जंगलसिंह, उम्र—40 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम नारना, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—जेलर वल्द छोटेलाल गोंड, उम्र—46 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम नारना, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—बीरनसिंह वल्द चंदरसिंह, उम्र—48 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम नारना, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**
 — — — — —
 // **निर्णय** //

(आज दिनांक—28 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम—1972 की धारा—51 एवं सहपठित धारा—9, 39, 44 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—19.03.2003 को कक्ष क्रमांक—1131 के संरेखा बीट, स्थान ग्राम नारना स्थित नाला चूहीवारे में खुदनीया के पास अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर एक चीतल को शिकार करने के आशय से खदेड़कर और पत्थर, कुल्हाड़ी से घातक चोट पहुंचाकर उसका शिकार कर, अवैध रूप से शिकार किये गए वन्य प्राणी चीतल का मांस का बिना अनुमति के हस्तांतरण एवं बिक्री किया एवं उक्त वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर शासकीय

संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—19.03.2003 को कक्ष क्रमांक—1130 से गांव के किनारे स्कूल मैदान के पास इको विकास समिति के अध्यक्ष रतनसिंह को आरोपी सम्हारू के पास एक प्लास्टिक का थैला मटमैला रंग का रखा हुआ मिला, जिसमें मांस रखा हुआ देखने पर आरोपी से पूछा तो आरोपी ने उसे बताया कि उसने जेलर सिंह व बिरनसिंह के साथ मिलकर दिनांक—19.03.2003 को चीतल का झुण्ड को खदेड़ते हुए एक चीतल खदान में गिरने से उसको कुल्हाड़ी और पत्थर से मारकर उसके मांस का बंटवारा कर लिया है तथा उस मांस में से बचे हुए मांस को बेचने ले जा रहा है। उक्त अध्यक्ष ने आरोपी को बीट प्रभारी कुमादेही के पास ले गया और आरोपी से चीतल का बाल, खून लगी लकड़ी व थैले में रखा हुआ मांस जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया। आरोपी द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर द्वारा आरोपी सम्हारू के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक—3751/15, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9, 39, 44, 50, 51 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपी सम्हारू को गिरफ्तार कर शेष आरोपीगण की फरारी में सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को न्य प्राणी संरक्षण अधिनियम—1972 की धारा—51 एवं सहपठित धारा—9, 39, 44 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—19.03.2003 को कक्ष क्रमांक—1131 के सरेखा बीट, स्थान ग्राम नारना स्थित नाला चूहीवारे में खुदनीया के पास मिलकर एक चीतल को शिकार करने के आशय से खदेड़कर और पत्थर, कुल्हाड़ी से घातक चोट पहुंचाकर उसका शिकार किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अवैध रूप से शिकार किये गए वन्य प्राणी चीतल का मांस का बिना अनुमति के

हस्तांतरण एवं बिक्री किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान उक्त वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— गणेशलाल (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-20.03.2003 को मालखेड़ी बीट खापा परिक्षेत्र में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक-13.03.2003 को उसे नारना के वन विभाग के अध्यक्ष ने चिट्ठी भेजा कि उसने माल व अपराधी को पकड़कर रखा है। फिर वह मोटरसाईकिल से करीब 5:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। दिनांक-19.03.2003 को सूचना मिली थी। वह नारना बस्ती में गया था, जहां चीतल का एक किलो मांस, जिसमें एक-दो चीतल के बाल चिपके थे। उसने एक किलो मांस जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। उसने आरोपी गणेश से चीतल के बालों एवं खून से सनी लकड़ी जप्त नहीं किया था। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-4 एवं पंचनामा प्रदर्श पी-6 काटा था। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-8 लिखकर दिया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 के अनुसार खून से सनी लकड़ी व चीतल के बाल किसी आरोपी से जप्त नहीं किये गए थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने जप्तीपंचनामा पर कुमादेही नाके पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे जो चिट्ठी अध्यक्ष से मिली थी वह पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि गांव में बकरा भी काटते हैं, जिसका मटन लोगों के पास रहता है तथा उसने जंगली जानवरों के मटन की पहचान के संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। साक्षी ने मामलें में पी.ओ.आर. जारीकर्ता व जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किये हैं, मात्र दस्तावेजी कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, किन्तु यह नहीं बताया है कि किस आरोपी से कथित मांस की जप्ती की गई। साक्षी ने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 के अनुसार कथित चीतल के बाल व खून से सनी लकड़ी की जप्ती की कार्यवाही का स्वयं जप्ती अधिकारी होते हुए भी समर्थन नहीं किया है।

7— महेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह खापा परिक्षेत्र के अंतर्गत सरेखा बीट में वन श्रमिक है। आरोपी सम्हारू के पास से वनरक्षक सिरसाठे साहब ने मटन पकड़ा था, जो एक किलो था। घटना चार वर्ष पूर्व ग्राम नारना की है। उसे आरोपी सम्हारू ने बताया था कि उक्त मटन चीतल का है। उसके समक्ष पी.ओ.आर. काटा गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। आरोपी गणेश से कुछ जप्त नहीं हुआ था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सम्हारू से चीतल का एक किलो मांस जप्त हुआ था। ग्राम नारना में ही पंचनामा बनाया गया था। उक्त साक्षी को प्रदर्श पी-5 पढ़कर बताए जाने पर उसने ऐसा बयान नहीं देना व्यक्त किया। उक्त बयान सिरसाठे साहब ने लिया था। जहां शिकार हुआ था, वह वहां मौके पर नहीं गया था।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि कथित मटन की जप्ती किसी व्यक्ति के घर से नहीं हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 में क्या लिखा—पढ़ी हुई, वह नहीं जानता। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि कथित जप्ती की बात सिरसाठे साहब के बताने पर हुई थी तथा उसी के कहने पर उसने जप्तीपत्रक पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके अधिकारी ने क्या किया, वह नहीं जानता। इस प्रकार साक्षी ने विभागीय साक्षी होते हुए भी चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में या जप्ती कार्यवाही के पंच साक्षी के रूप में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— रतनसिंह (अ.सा.1), सोमलाल (अ.सा.3), भागेश्वर (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उन्हें आरोपीगण से कथित मांस की जप्ती किये जाने और उनके द्वारा कथित शिकार किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण ने पंचनामा प्रदर्श पी-6 के अनुसार कार्यवाही करने से भी इंकार किया है। साक्षी ने दस्तावेजी कार्यवाही पर केवल हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार साक्षीगण के कथन से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— दिनकर प्रसाद पाण्डे (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 2005 में वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा बफर जोन वन मण्डल कान्हा बफर जोन में पदस्थ था। दिनांक-19.03.2003 को आरोपी सम्हारू के द्वारा अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी चीतल का अवैध रूप से मांस रखा। पत्थर व कुल्हाड़ी से वन प्राणी का शिकार किये जाने के संबंध में अपराध की विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् उसके द्वारा

आरोपी सम्हारू तथा आरोपी का साथ देने वाले सह आरोपीगण जेलर एवं बिरन के विरुद्ध वर्ष 2005 में वन परिक्षेत्र अधिकारी होने के कारण परिवादपत्र आरोपीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पेश किया। साक्षी आरोपीगण के विरुद्ध परिवादपत्र पेश करने के संबंध में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-55 के अंतर्गत अधिकृत है।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी जेलर और बिरन की अनुपस्थिति में परिवाद पेश किया गया था और उसे आरोपीगण को देखने का मौका नहीं आया। इस प्रकार साक्षी ने केवल मामलें में परिवाद पेश करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

12— प्रकरण में अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सालोमन की फौत होने के कारण उसकी साक्ष्य नहीं कराई जा सकी है। अतएव मामलें में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही को अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। मामलें में केवल पी.ओ.आर. जारीकर्ता, जप्ती अधिकारी व पंचनामा तैयार करने वाले वनरक्षक गणेशलाल (अ.सा.5) की साक्ष्य पेश है, जिसने अपनी साक्ष्य में केवल पी.ओ.आर. एवं पंचनामा तैयार करने का समर्थन किया है, किन्तु कथित मांस एवं चीतल के बाल व खून की लकड़ी जप्ती किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने यह नहीं बताया कि कथित मांस की जप्ती किससे की। इस प्रकार कथित मांस की जप्ती की महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में भी अभियोजन की ओर से स्पष्ट साक्ष्य पेश न होने और स्वयं जप्ती अधिकारी की साक्ष्य से ही अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

13— प्रकरण में कथित अपराध के संबंध में सूचनाकर्ता रतनसिंह ने ईको विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में वनरक्षक को सूचना दिया जाना बताया गया है, किन्तु उक्त सूचनाकर्ता रतनसिंह को मामलें में साक्षी के रूप में साक्ष्य सूची में शामिल नहीं किया गया है और न ही उसके कथन न्यायालय के समक्ष कराए गए हैं। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य पेश न होने से भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

14— अभियोजन की ओर से जिन स्वतंत्र साक्षी एवं विभागीय साक्षीगण को पेश किया गया है, उन्होंने अपने कथन में आरोपीगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में आरोपी सम्हारू के बयान व

अन्य साक्षीगण के कथन भी प्रमाणित नहीं हैं। प्रकरण में किसी भी व्यक्ति के द्वारा आरोपीगण को कथित वन्य प्राणी के शिकार करते हुए नहीं देखा गया है और न ही किसी साक्षी ने आरोपी से कथित वन्य प्राणी चीतल के मांस की जप्ती का समर्थन किया है। इसके अलावा मामलों में प्रस्तुत साक्ष्य से इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं होती की कथित जप्तशुदा मांस किसी वन्य प्राणी या चीतल का ही था। वास्तव में आरोपी सम्हारु से कथित जप्ती की कार्यवाही विधिवत् प्रमाणित नहीं होने से तथा आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य पेश न होने के कारण अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहास्पद प्रकट होता है।

15— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक-19.03.2003 को कक्ष क्रमांक-1131 के सरेखा बीट, स्थान ग्राम नारना स्थित नाला चूहीवारे में खुदनीया के पास अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर एक चीतल को शिकार करने के आशय से खदेड़कर और पत्थर, कुल्हाड़ी से घातक चोट पहुंचाकर उसका शिकार कर, अवैध रूप से शिकार किये गए वन्य प्राणी चीतल का मांस का बिना अनुमति के हस्तांतरण एवं बिक्री किया एवं उक्त वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। फलस्वरूप आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-9, 39, 44 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17— मामले में आरोपी समारु दिनांक-20.03.2003 से दिनांक-16.04.2003 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है तथा शेष आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट